

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 80/2017

केशु लाल पुत्र नारायण लाल मेथवाल निवासी भीष्म

- ① शोकर सिंह पुत्र मोहनलाल सिंह राजपुर नि० काशीराम जी का खेड़ा
- ② हरिसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपुर निवासी काशीराम जी का खेड़ा
- ③ राधेश्याम तेली पुत्र काफालुम तेली नि० पुरानी आबाडी-माण्डलगढ

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 5/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~केशु लाल पुत्र नारायण लाल मेथवाल~~ जरिये अभिभाषक श्री सावर मल रेबारी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~काशीराम जी का खेड़ा~~ प0ह0 ~~कल्याणपुरा~~ तह0 माण्डलगढ में आराजीन0

~~59/1 रकबा 3 बीघा~~

किता 01 रकबा 3 बीघा — बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~काशीराम जी का खेड़ा~~ की आराजी न0 ~~59/1, रकबा 3 बीघा~~

- 01) रकबा 3 बीघा — बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 200/-/रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी